संकट 800 ग्रामीण बेहाल, बच्चों की पढ़ाई ठप्प, बिजली विभाग और पुलिस की सुस्ती से हो रही देर

21 खंभों से बिजली के तार चोरी, एक महीने से अंधेरे में डूबे पांच टोले

नवभारत,शहडोल। जिले के केशवाही चौकी अंतर्गत अज्ञात चोरों ने 21 खंभों की बिजली तार उखाड़ ले गए, लेकिन सिस्टम अभी भी 'जांच' की रोशनी में रास्ता तलाश रहा है। गांव अंधेरे में है और जिम्मेदारों के दफ्तरों में फाइलें शायद अभी भी पूरी तरह 'जगमगा' रही हैं।

शहडोल जिले में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसका खामियाजा एक-दो परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव भुगत रहा है। ग्राम पंचायत कोटा के कोठी गांव में बिजली लाइन के 21 खंभों से एल्यूमिनियम तार चोरी होने के बाद पिछले एक महीने से कोठी, मौहार टोला, भमनिया टोला, सोनबरसा टोला और चिराईपानी पूरी तरह अंधेरे में डूबे हुए हैं। लगभग 800 ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन न पुलिस चोरों तक पहुंच सकी है और

न ही बिजली विभाग गांव में रोशनी लौटा पाया है। बिजली लाइन से तार चोरी होने के बाद पूरे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। दिन में किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन रात होते ही पांचों बस्तियां घने अंधेरे में डूब जाती हैं। बिजली के अभाव में ग्रामीणों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है।

पढ़ाई, मोबाइल चार्ज से लेकर पेयजल तक संकट

ग्रामीणों का कहना है कि बिजली नहीं होने से मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल हो गया है। कई घरों में मोटर नहीं चल पा रही, जिससे पेयजल की समस्या भी बढ़ गई है। गर्मी और उमस के बीच बिना बिजली के रातें काटना मजबूरी बन गया है। घरेलू कामकाज, छोटे व्यवसाय और दैनिक जीवन की सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। शाम ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र के बीच बिजली नहीं होने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है।बिजली लाइन से 21 खंभों की एल्यूमिनियम तार चोरी होना कोई छोटी घटना नहीं है। लाखों रुपये मूल्य की सामग्री चोरी होने के बावजूद अब तक आरोपियों का सुराग नहीं लगना पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में चोरी की गई तार कहां गई और किसके संरक्षण में इसे ठिकाने लगाया गया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है।

> **एक महीने से शिकायतें, समाधान अब तक नहीं**
>
> ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग और पुलिस को सूचना दे दी गई थी। इसके बाद भी एक महीने बीत जाने के बावजूद न तो चोरी का खुलासा हुआ और न ही नई तार लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल की गई। लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं।

> **इनका कहना है**
>
>
>
> बिजली विभाग का कहना है कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है। नई लाइन बिछाने और विद्युत आपूर्ति बहाल करने हेतु प्राक्कलन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। जल्द ही गांव में बिजली बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकियह स्पष्ट नहीं किया कि ग्रामीणों को राहत आखिर कब तक मिलेगी।
>
> **विकास गोंगड़े, जूनियर इंजीनियर, बुढ़ार**

सरकारी कर्मचारी से मारपीट के मामले में आरोपी को 2 वर्ष की सजा

अपर सत्र न्यायालय का फैसला बिजली चोरी व शासकीय कार्य में बाधा डालने पर दोषसिद्धि

नवभारत,बुढ़ार। अपर सत्र न्यायालय बुढ़ार के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार अग्रवाल की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 54/2024 (मध्यप्रदेश शासन बनाम मोहम्मद इसरार अंसारी) में आरोपी मोहम्मद इसरार अंसारी को बिजली चोरी तथा शासकीय सेवक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।

अपर लोक अभियोजक आलोक राय ने बताया कि कनिष्ठ यंत्री सुखवदन विश्वकर्मा ने थाना बुढ़ार में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 मार्च 2023 की रात लगभग 9 बजे सूचना मिली कि आरोपी ने 15,842 रुपये का बकाया बिजली बिल जमा नहीं किया था और एल.टी. लाइन से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली चोरी कर रहा था। जांच के लिए मौके पर पहुंचने पर आरोपी ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, गाली-गलौज की और हाथापाई कर दी। इसके बाद मौके पर पंचनामा तैयार कर थाना बुढ़ार में अपराध क्रमांक 182/2023 दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने पाया कि आरोपी ने विद्युत विभाग की एल.टी. लाइन से अवैध रूप से तार जोड़कर बिजली का चोरी से उपयोग किया तथा कार्रवाई करने पहुंचे लोक सेवक के साथ मारपीट कर उसके शासकीय कार्य में बाधा डाली।

> **बिजली चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ रही**
>
> न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135(1)(क) के तहत दोषी ठहराते हुए अलग-अलग अवधियों के कारावास एवं कुल 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अपने निर्णय में न्यायालय ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान किए बिना अवैध रूप से बिजली चोरी करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। साथ ही, बिजली चोरी रोकने के लिए कार्रवाई करने वाले शासकीय कर्मचारियों के साथ अपराध होने से समाज में गलत संदेश जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक आलोक राय एवं अशोक सिसोदिया ने की।

एक नजर में

संगम मैनेजर ने हड़पे 1.67 लाख

जबलपुर । पाटन स्थित फाइनेंस कंपनी के संगम मैनेजर ने महिलाओं से उनके लोन की किश्तों को लेकर बैंक की पाटन ब्रांच में जमा करते हुए 1,67,751 रूपए हड़प लिए। पुलिस के मुताबिक विमल कुमार कहार ब्रांच मेनेजर भारत द्वत्ताइनेंशियल इन्क्लुजन लिमिटेड द्वारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बैंक में पदस्थ कर्मचारी संगम मैनेजर लोन की किश्तों के कलेक्शन का कार्य करते हैं। पाटन में उसकी पदस्थापना के पूर्व से ही एवं उसकी पट्स्थापना के दौरान ब्रांच में राज 24 वर्ष निवासी हरिजन मोहल्ला जबेरा दमोह संगम मैनेजर के रूप में काम करता था। उसका काम पाटन ब्रांच के अंतर्गत आने वाले गावों की महिलाओं के समूहों से लोन की किश्तें लेकर उन किश्तों को बैंक में जमा करना था। जिसने महिलाओं से कुल 1,67,751 रूपए लेकर बैंक में जमा नहीं करते हुए गबन किया।

सट्टा लिखते 4 सटोरिए गिरफ्तार

जबलपुर। बेलबाग पुलिस ने पाण्डे अस्पताल के सामने संगम चाय दुकान के पास दबिश देकर अवैध रूप से सट्टा पट्टी लिख रहे चार सटोरियों को रंगे हाथ दबोचा है। टीआई जितेन्द्र पाटकर के मुताबिक, संगम चाय दुकान के पास सट्टा पट्टी लिख रहे अच्छेलाल चौधरी निवासी हनुमानताल, विजय कुमार गुप्ता निवासी कोतवाली, प्रदीप कोरी निवासी घमापुर और संजय जैन निवासी गोहलपुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया था, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। सटोरियों के कब्जे से कुल 17 सट्टा पट्टी और 10 हजार 290 रुपये नगद जब्त किए गए हैं। चारों आरोपियों के खिलाफ सट्टा एक्ट के कार्रवाई की गई।

भूतपूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के लिए आयोजित हुआ स्वास्थ्य शिविर

नवभारत,शहडोल। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, शहडोल द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ईसीएचएस मोबाइल मेडिकल यूनिट, जबलपुर से चिकित्सक सहित दो नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे। इस दौरान जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में पंजीकृत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एवं डिंडौरी जिले के उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया। चिकित्सा दल द्वारा उपस्थित पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श

प्रदान किया गया।जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अरुण शुक्ला (सेवानिवृत्त) ने बताया कि भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के स्वास्थ्य हित को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से पूर्व सैनिकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण एवं आवश्यक चिकित्सकीय मार्गदर्शन की सुविधा उनके नजदीकी क्षेत्र में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिविर के आयोजन से भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों में उत्साह देखा गया।

कैंडल मार्च निकाल नीट पेपर में जान गंवाने वाले छात्रों को दी श्रद्धांजलि

नवभारत,जयसिंहनगर । प्रदेश काग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार तथा जिला कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन में ब्लॉककाग्रेस कमेटी जयसिंहनगर द्वारा नीट पेपर लीक में जान गवानेवाले छात्रोंको कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुलगांधी द्वारा छात्रों के साथ खड़े होने तथा संसद से लेकर सड़क तक छात्रों के हित मेंसघर्ष करने के कारण तानाशाह मोदी सरकारके झुकने

तथा शिक्षा मंत्री द्वारा इस्तीफा देने के लिए राहुल गांधी जीके प्रति ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने मांग की छात्रों के साथ छात्रों के साथ वरवर्ता करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही हो प्रधानमंत्री जी छात्रों से माफी मांगे तथा जान गवाने वाले छात्रोंके परिजनों को एक-एक करोड रुपए सरकार मुआवजा दे। कैंडल मार्च में इनकी रही उपस्थित बोल राम पहले क्या था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश मिश्रा रोहिणी प्रसाद शुक्ला रामनिवास पयासी परशुराम द्विवेदी सूरज प्यासी रामनारायण द्विवेदी अजय जायसवाल महेंद्रगुप्ता जीवन कुशवाहा जगदंबा तिवारी राजेश गुप्ता शाहित भारी तादातमें कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

90 किलोमीटर का दर्द! ब्यौहारी में डायलिसिस सेंटर नहीं

जिंदगी बचाने हर हफ्ते लंबा सफर करने को मजबूर मरीज

नवभारत,ब्यौहारी। आदिवासी बहुल ब्यौहारी क्षेत्र के किडनी रोगियों को आज भी डायलिसिस जैसी जीवनरक्षक सुविधा के लिए 90 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय शहडोल का रुख करना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र ब्योहारी पर डायलिसिस सेंटर नहीं होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़

रहा है। जानकारी के अनुसार ब्यौहारी क्षेत्र के करीब 15 से 20 मरीजों को सप्ताह में दो बार डायलिसिस कराने के लिए लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। गंभीर हालत में भी मरीजों को लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिससे उनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। कई मरीजों का कहना है कि बीमारी से ज्यादा परेशानी सफर और खर्च की वजह से होती है। जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री सहित शासन-प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार ब्यौहारी में डायलिसिस सेंटर शुरू करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक यह मांग केवल आश्वासनों तक ही सीमित है। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यदि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्योहारी में डायलिसिस यूनिट स्थापित हो जाए तो सैकड़ों मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है।जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल ने शासन प्रशासन से मांग की है कि ब्यौहारी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए, ताकि गंभीर मरीजों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। अब बड़ा सवाल यह है कि जब हर सप्ताह मरीज जीवन और मौत की जंग लड़ते हुए 90 किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हैं, तब आखिर ब्यौहारी को डायलिसिस सेंटर की सौगात कब मिलेगी। क्षेत्र की जनता को उम्मीद है कि शासन इस गंभीर समस्या पर शीघ्र निर्णय लेकर मरीजों को राहत प्रदान करेगा।

दिनदहाड़े बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपये पार

बैंक से रकम निकालकर सामान खरीदने गए थे, अज्ञात बदमाशों ने डिग्गी से उड़ाई नकदी

नवभारत,शहडोल। शहर में दिनदहाड़े बाइक की डिग्गी से 2 लाख रुपये चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चौपाटी के समीप की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सर्किट हाउस के पास रहने वाले सुनील श्रीवास्तव बैंक से 2 लाख रुपये निकालकर बाइक की डिग्गी में रखे थे। इसके बाद वे सामान खरीदने के लिए चौपाटी के समीप पहुंचे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनकी बाइक की डिग्गी में रखी नकदी पर हाथ साफकर दिया। पीड़ित सुनील श्रीवास्तव को जब बाइक की डिग्गी में रखे रुपये गायब होने की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस को आशंका है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर वारदात को अंजाम दिया होगा या फिर बैंक से ही पीड़ित का पीछा किया गया होगा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

अवैध शराब बिक्री के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी

नवभारत, जबलपुर। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और ग्रामीण महिलाओं ने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा सहायक आबकारी आयुक्त को आवेदन सौंपकर जबलपुर जिले में अवैध शराब बिक्री और नियमों के विरुद्ध संचालित दुकानों को बंद कराने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव और मोहल्लों में अवैध शराब सप्लाई की जा रही है, जिससे अपराध और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा भेड़ाघाट चौराहा और बरगी नगर की दुकानें तय गाइडलाइन का उल्लंघन कर नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में चल रही हैं। बरेला, मनकेड़ी और मीरगंज जैसी आठ-दस दुकानें भी राष्ट्रीय राजमार्ग से पांच सौ मीटर के अंदर संचालित हो रही हैं।

सात दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम- शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2026 में आवंटित कई दुकानें तय स्थान के बजाय दूसरी जगहों पर खोली गई हैं, जैसे गंगई बरखेड़ा की दुकान सिवनी टोला में, मीरगंज की कूड़न में, माथनपुर की दुकान मेरे गांव में और पिपरिया की दुकान मनकेड़ी में संचालित हो रही है।

भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संजू लाल झारिया ने कहा कि प्रशासन स्कूलों और हॉस्टलों के पास चल रही इन दुकानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अनेक संगठनों द्वारा पिछले पांच महीनों से लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो कलेक्टर कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा।

चलती ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार

जबलपुर। रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब 3 लाख 52 हजार 420 रुपए कीमत के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी ने पूछताछ में भुसावल-कटनी और कटनी-भुसावल पैसेंजर ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है।

पुलिस के अनुसार, रेल पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश के निर्देशन और रेल पुलिस उप अधीक्षक अंकिता सुल्पा के मार्गदर्शन में अपराधियों की धरपकड़ और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-1 के इटारसी एंड पर एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को दिखाई दिया। पूछताछ में उसकी पहचान राजा निषाद (32), निवासी जगदेव का अखाड़ा, जिला चित्रकूट (उत्तर प्रदेश), हाल निवासी खिरहनी फाटक, कटनी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। संदेह के आधार पर उससे रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में हुई चोरी की घटनाओं के संबंध में पूछताछ की गई।

बरामद किया गया सामान

जीआरपी का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने करीब ढाई से तीन महीने पहले भुसावल-कटनी पैसेंजर और कटनी-भुसावल पैसेंजर ट्रेनों में चोरी की वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर जीआरपी ने एक सोने का हार, तीन सोने की नाक की लॉन्ग, एक सोने की नथ, एक सोने का मंगलसूत्र और 12 नग सोने के मनचली के गुरिया बरामद किए। पूछताछ में आरोपी ने दो सोने की जेंट्स अंगूठी और एक जोड़ी चांदी की पायल को कटनी के गोल बाजार स्थित मुस्कान ज्वैलर्स में बेचने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर ज्वैलर्स संचालक विकास सोनी, निवासी जालपा देवी वार्ड, कटनी के कब्जे से दोनों सोने की अंगूठियां और चांदी की पायल बरामद कर ली। मामले में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धारा 317(2) बीएनएस के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।

कचरे का अंबार आज भी खुले में ही फेंक रहे कचरा, जहग-जगह लगा कचरे का अंबार

शहरी क्षेत्र के पढ़े-लिखे लोग ही स्वच्छता को लगा रहे पलीता

नवभारत,शहडोल। शहडोल में कुछ लोगों ने शायद स्वच्छता की नई परिभाषा गढ़ ली है अपना घर चमकाओ, बाकी शहर, नगरपालिका और भगवान के भरोसे छोड़ दो। वहीं नगरपालिका का रवैया भी कुछ ऐसा दिखाई देता है- घर-घर से कचरा उठा लेंगे, लेकिन सड़क पर पड़ा कचरा शायद खुद चलकर डंपिंग ग्राउंड पहुंच जाएगा।स्वच्छ शहर का सपना तब तक अधूरा रहेगा, जब तक शहर के तथाकथित पढ़े-लिखे और सभ्य नागरिक अपनी मानसिकता नहीं बदलते। विडंबना यह है कि जिन लोगों से समाज को जागरूकता और अनुशासन की सीख मिलनी चाहिए, वही लोग अपने घरों का कचरा सड़क किनारे, खाली प्लॉटों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर फेंककर पूरे शहर को गंदगी का अड्डा बनाने में लगे हैं। दूसरी ओर, नगरपालिका भी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती।

डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का ढिंढोरा पीटने वाली व्यवस्था वार्डों में खुले में पड़े कचरे के ढेरों के सामने बेबस नजर आती है।

घर साफ... शहर जाए भाड़ में!

शहर के अनेक वार्डों में सुबह होते ही लोग अपने घरों का कचरा चुपचाप सड़क किनारे, खाली प्लॉटों और नालियों में उड़ेल देते हैं। ऐसा लगता है मानो शहर नहीं, बल्कि हर गली को निजी कूड़ाघर घोषित कर दिया गया हो। सबसे दुखद बात यह है कि यह काम अनपढ़ नहीं, बल्कि शिक्षित और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोग करते हुए देखे जाते हैं।

पार्षदों के घरों के पास कचरे का ढ़ेर, फिर किससे उम्मीद?

शहर के कई वार्डों में जनप्रतिनिधियों के घरों के आसपास तक कचरे के ढेर दिखाई देना यह बताने के लिए काफी है कि स्वच्छता व्यवस्था कितनी गंभीर है। यदि जनप्रतिनिधियों के आसपास ही सफाई की यह स्थिति है, तो आम मोहल्लों की दशा का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या जिम्मेदार लोग इस गंदगी को देख नहीं रहे, या फिर देखने के बाद भी अनदेखा कर रहे हैं?

नगरपालिका की ढिलाई बढ़ा रही परेशानी

नगरपालिका के नियम कहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन शहर में शायद ही कभी ऐसी कार्रवाई दिखाई देती है। नतीजा यह है कि नियमों का भय समाप्त हो चुका है और खुलेआम गंदगी फैलाने वालों के हौसले बुलंद हैं। यदि कभी-कभार कार्रवाई होती भी है तो उसका असर स्थायी नजर नहीं आता।कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) की समीक्षा बैठक में जिले के सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरे के पृथक्करण तथा नागरिकों की सहभागिता बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई।

> **डोर-टू-डोर व्यवस्था पर भी कई सवाल**
>
> नगरपालिका वर्षों से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था संचालित कर रही है, लेकिन कई मोहल्लों में वाहन समय पर नहीं पहुंचते। कहीं वाहन छूट जाता है तो लोग कचरा खुले में फेंक देते हैं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि जो कचरा पहले से सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर पड़ा रहता है, उसके नियमित उठाव की व्यवस्था बेहद कमजोर दिखाई देती है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर दिनों तक पड़े रहते हैं और दुर्गंध के साथ बीमारियों को भी आमंत्रण देते हैं।नगरपालिका समय-समय पर स्वच्छता के नाम पर जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन यदि शहर की गलियों, मोहल्लों और खाली प्लॉटों का हाल देखा जाए तो सवाल उठता है कि ये अभियान आखिर किसके लिए हैं? पोस्टरों और भाषणों में स्वच्छता की बातें खूब होती हैं, लेकिन जमीन पर गंदगी का साम्राज्य नजर आता है।

अल्प वर्षा को देखते हुए किसान तत्काल कराएं फसल बीमा

31 जुलाई के बाद नहीं मिलेगा मौका

नवभारत,शहडोल। अलनीनो के चलते कम बारिश की आशंका, कृषि विभाग ने जारी की चेतावनीय खरीफ फसलों के नुकसान से बचाव के लिए समय रहते उठाएं कदम। खरीफ सीजन में संभावित प्राकृतिक आपदाओं और कम वर्षा के जोखिम को देखते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने जिले के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 से पहले अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि बीतने के बाद किसी भी किसान का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, शहडोल ने बताया कि इस वर्ष अलनीनो (म्स छप ?व) के प्रभाव के कारण सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम की इस अनिश्चितता का सीधा असर खरीफ फसलों पर पड़ सकता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना

पड़ सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगी।

इन माध्यमों से करा सकते हैं बीमा

विभाग ने बताया कि किसान अपने निकटतम बैंक, सहकारी समिति, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा अधिकृत बीमा एजेंट के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा कराने के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे- भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बुवाई प्रमाण पत्र, दस्तावेज पूर्ण होने पर बीमा प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकेगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 अंतिम तिथि है। इसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि अंतिम समय की भीड़ से बचते हुए समय रहते बीमा कराएं और योजना का लाभ सुनिश्चित करें।

> **प्राकृतिक आपदा से आर्थिक सुरक्षा का माध्यम**
>
> कृषि विभाग के अनुसार फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। समय पर बीमा कराने से किसान विपरीत परिस्थितियों में भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं।